रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/चैत्र 7, 1925
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

सं. 9-12/2002/राअशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 32(2)(ग) के साथ पठित धारा 10 (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, परिषद् में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव से इतर सभी पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :-

(1) लघु शीर्ष और प्रारम्भ

1.1 ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भर्ती विनियम 2003 कहलाएंगे ।

1.2 ये विनियम उनके अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।

(2) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान

2.1 पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और तत्सम्बधी वेतनमान इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के खाना 2 से लेकर खाना 4 तक में थानिर्दिष्ट होंग ।

(3) भर्ती पद्धति, आयुसीमा और अन्य अर्हताएं आदि

3.1 उपर्युक्त पदों के सम्बन्ध में भर्ती पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के खाने 5 से लेकर खाने 14 में यथानिर्दिष्ट होंगे ।

3.2 भारत सरकार में समूह 'क' पदों के समकक्ष पदों पर की जाने वाली भर्तियां भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होंगी ।

3.3 सीधी भर्ती के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आयुसीमा में 35 वर्ष तक छूट दी जा सकेगी ।

3.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में यदि चयन के दौरान किसी समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव से युक्त इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के समुचित संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष के विवेकानुसार अनुभव सम्बधी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है ।

3.5 संविदा पर भर्ती पर विचार करते समय अनुसूची के खाना 12 में निर्धारित वेतनमान में सेवा की अपेक्षित अवधि की शर्त लागू नहीं होगी ।

3.6 स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करके सीधी भर्ती पर पद भरते समय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के ऐसे कर्मचारियों को भी विचार किए जाने के लिए अवसर दिया जाएगा जो कि भर्ती नियमावली में निर्धारित पात्रता की अर्हताएं पूरी करते हों ।

(4) अपात्रता

4.1 कोई भी ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जीवन-साथी जीवित है विवाह कर लिया है अथवा विवाह का करार कर लिया है; अथवा

(ख) जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा करने का करार कर लिया है ।

उपर्युक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष इस बारे में सन्तुष्ट हैं कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रावधान से छूट दे सकती है ।

(5) सेवा का भावी अनुरक्षण

5.1 इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व मौजूद किन्हीं प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति उनके द्वारा धारित मूल पदों पर बने रहेंगे ।

5.2 इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में सभी भर्तियां केवल इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी ।

IndiaCode

(6) ढील देने की शक्ति

6.1 जब अध्यक्ष की अनुशंसा पर, परिषद् का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह पदों अथवा व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रावधानों में ढील दे सकती है और ढील देने के कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किया जाएगा ।

(7) व्यावृत्ति

7.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व-सैनिक तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयुसीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(8) निवर्चन

8.1 इन विनियमों के निवर्चन से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के बारे में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

IndiaCode

एस. के. रॉय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2002/असा.]

अनुसूची

उपसचिव/क्षेत्रीय निदेशक के पद के लिए भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन योग्यता अथवा चयन एंव वरिष्ठता अथवा गैर-चयनात्मक पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमवर्ता) 1972 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
उपसचिव/क्षेत्रीय निदेशक	7(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'क' गैर-मंत्रातयी	रु 12,000-375-16500* *ये पद रीडरों के लिए लागू यूजीसी वेतनमानों में रखे जाएंगे बशर्ते कि इनके धारक एनसीटीई में कार्यभार संभालने से पूर्व यूजीसी वेतनमानों में सेवारत रहे हों ।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनकी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग पर विचार किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों, अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु 10000-15200 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं

						के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर ली हों; तथा (ख)जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों: (i) विभिन्न शिक्षा निदेशालयों, एससीईआरटी, केवीएस, एनवीएस अथवा ऐसी किसी स्कूली/शैक्षिक प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि डाटा बेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रोनिक संसाधनों का प्रयोग [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन

				संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।	

IndiaCode

अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी	14(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'क' मंत्रालयी	रु 10,000-325-15,200* *ये पद लेक्चररों के लिए लागू यूजीसी वेतनमानों में रखे जाएंगे बशर्ते कि इनके धारक एनसीटीई में कार्यभार संभालने से पूर्व यूजीसी वेतनमानों में सेवारत रहे हों	चयन एवं वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	50% पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)/तथा 50% प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में ऐसे अनुभाग अधिकारियों / कार्यक्रम अधिकारियों तथा वैयक्तिक सहायकों मे से जिन्होंने इस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा	1. अध्यक्ष -राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद - सदस्य 3. सदस्य सचिव - सदस्य 4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य 5. अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य	लागू नहीं

				रखते हों : (i) विभिन्न शिक्षा निदेशालयों, एससीईआरटी, केवीएस, एनवीएस अथवा ऐसे किसी स्कूली/शैक्षिक प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि डाटा बेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी	

IndiaCode

			संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

अनुभाग अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी के पद के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
अनुभाग अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी	12(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' मंत्रालयी	रु 6500-200-10500	चयन एवं वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 50% पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन भर्ती सहित) (ii) 50% सहायकों, आशुलिपिक ग्रेड ग तथा तकनीकी सहायकों की सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से	**(i) पदोन्नति** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । **टिप्पणी :** जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा, आधी से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह गई हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो । **(ii) <u>सीमित विभागीय परीक्षा</u>** **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायकों, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' तथा तकनीकी सहायकों में से**	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ -सदस्य 4. अवर सचिव (स्थापना / प्रशासन)- सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव के स्तर से कम का नहीं होगा) और जो सदस्य सचिव द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य	लागू नहीं

			(iii) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सांविधिक अर्द्धसरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 5500-9000 / रु 5000-8000 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3 / 6 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो ; तथा (ख)जिनके पास निम्न अर्हताएं / अनुभव हो : (i) विभिन्न शिक्षा निदेशालयों, एससीईआरटी, केवीएस, एनवीएस अथवा ऐसी किसी		

Indiacode

						स्कूली / शैक्षिक प्रणाली आदि में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ज्ञान जैसे कि डाटा-बेस प्रबन्ध सम्भालना तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग।	
						केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संबंधित पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ।	

IndiaCode

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	3(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	रु 6500-200-10,500	चयन एवं वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में सेवारत ऐसे आशुलिपिक ग्रेड 'ग' जिन्होंने उस ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो ।	मुख्यालय के लिए i. सदस्य सचिव - अध्यक्ष ii. उपसचिव (प्रशासन) - सदस्य iii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य iv. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

				पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 5500–9000 / रु 5000–8000 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में नियमित आधार पर 3/6 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो ; तथा (ख) जो निम्न अर्हताएं / अनुभव रखते हों : (i) अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जानकारी जैसेकि डाटा बेस प्रबन्ध संभालना तथा आफलाइन और आनलाइन इलेक्ट्रोनिक संसाधनों के प्रयोग का अनुभव । [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में		

IndiaCode

			इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
लेखा अधिकारी	1(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	रु 7450-225-11500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Indiacode

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु 5500-9000 अथवा समतुल्य वेतनमान में ,नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो; तथा (ख)जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों: केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित एसएएस अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा आईएसटीएम या उसके समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा रोकड़, लेखाओं और बजट कार्य का अनुभव हो ।	लागू नहीं	लागू नहीं

indiacode

			[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

कम्प्यूटर प्रोग्रामर-एवं- आयोजना और मानीटरिंग अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8
कम्प्यूटर प्रोग्रामर -एवं- आयोजना और मानीटरिंग अधिकारी	1(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर मंत्रालयी	रु 6500-200-10500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 5500-9000 / रु 5500-8000/- अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के बाद उस ग्रेड में 3/6 वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास निम्न अर्हता / अनुभव हो : (i) डीओईएसीसी से बीसीए अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र (ii) डाटाबेस प्रबन्ध के लिए सापफ्टवेयर विकास, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के वेब डिजाइनिंग तथा प्रणाली प्रबन्ध का तीन वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं	लागू नहीं

Indiacode

			(विभागीय तकनीकी सहायक जिसके पास उपर्युक्त निर्धारित अर्हताएं हों, उसके मामले पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि सीपीपीएमओ का पद पदोन्नति से भरा गया है ।)		
			[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

IndiaCode

पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखन तथा प्राडक्शन अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8
पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रलेखन तथा प्राडक्शन अधिकारी	1(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	रु 6500-200-10500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 5500-9000/5000-8000 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3/6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो ; तथा (ख) जो निम्न अर्हताएं / अनुभव रखते हों : अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम दूसरी श्रेणी में एम०ए० की डिग्री (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

				पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री (iii) किसी विख्यात पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रलेखन सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जानकारी जैसेकि डाटा बेस प्रबन्ध के लिए पुस्तकालय साफ्टवेयर संभालना तथा आफलाइन और आनलाइन इलेक्ट्रोनिक संसाधनों के प्रयोग (v) सीडी-रोम / इन्टरनेट आदि जैसे डिजिटल संसाधनों का प्रयोग का अनुभव वांछनीय प्रलेखन की आधुनिक और उच्च स्तरीय पद्धतियों की जानकारी		
				[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्गाबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है ।		

IndiaCode

		प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।			

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ख' गैर-मंत्रालयी	रु 5500-175-9000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त तथा अन्य संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु 5000-8000/4000-6000 अथवा समतुल्य वेतनमान में	लागू नहीं	लागू नहीं

Indiacode

			नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3/10 वर्ष की नियमित सेवा की है; तथा (ख)जिसके पास निम्न अहर्ताएं/अनुभव हो: (i) रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सुविधा जैसे कि डाटा बेस प्रबन्ध प्रणाली को संभालना [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।		

IndiaCode

सहायक के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक	8 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	रु 5000-150-8000	चयन एवं वरिष्ठता	लागू नहीं	20 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य वांछनीय 1. केन्द्रीय / राज्य सरकार, स्वायत्त अथवा अन्य संगठनों में सामान्य प्रशासन / स्थापना / भण्डार /लेखाओं में दो वर्ष का अनुभव 2. कम्प्यूटर प्रयोग में सुविधा

9	10	11	12	13	14
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	25 % पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा / 75 % सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो । टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष 2. उपसचिव (प्रशासन) सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा) - सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

			कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा, आधी से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह गई हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्त (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों / सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त अथवा किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 4000-6000 के वेतनमान		

			में नियमित नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और (ख) जिन्हें सामान्य प्रशासन / स्थापना / भण्डार / लेखाओं अथवा समतुल्य का तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

तकनीकी सहायक के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
तकनीकी सहायक	1 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	रु 5000-150-8000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित /पदोन्नति)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकारों / सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त या किसी अन्य संगठन के ऐसे अधिकारी (क) (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 4000-6000 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो ; तथा (ख) जो निम्न अर्हताएं / अनुभव रखते हों : (i) डीओईएसीसी का बीसीए अथवा समतुल्य प्रमाण-पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

						(ii) कम्प्यूटर प्रणाली में हार्ड वेयर का तीन वर्ष का अनुभव और मामूली मरम्मत करने का कौशल । (उपर्युक्त अर्हताओं से युक्त विभागीय डाटा एन्ट्री आपरेटर के मामले पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन कर लिया जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि तकनीकी सहायक का पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है ।) [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्गाबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन सेविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन सेविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।

आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	12 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	रु 5000-150-8000	चयन एवं वरिष्ठता	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच. टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा समतुल्य 2. अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनिट की गति 3. कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री तथा वर्ड प्रोसेसिंग कौशल (अंग्रेजी और हिन्दी-दोनों आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी)

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा तथा 50% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में सेवारत ऐसे आशुलिपिक ग्रेड 'घ' जिन्होंने इस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन) सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन / स्थापना)- सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

			टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा, आधी से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह गई हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय / राज्य सरकार/ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों / सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त अथवा अन्य संगठनों के ऐसे आशुलिपिक (i) जोकि मूल संवर्ग / विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में ग्रेड में रु 4000-6000 अथवा समतुल्य वेतनमान में	4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा) - सदस्य	

			नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो और जिनके पास अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति हो । [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्कालपूर्व धारित किसी संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उधार देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	6 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	रु 4000-100-6000	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच - टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा समतुल्य 2. अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति । 3. कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री तथा वर्ड प्रोसेसिंग कौशल (अंग्रेजी / हिन्दी दोनों आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी)

Indiacode

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायी किए जाने के लिए मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)-सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य क्षेत्रीय समिति के लिए 1. क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय समिति में अवर सचिव- सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) / सदस्य सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

				4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा) - सदस्य	

डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
डाटा एन्ट्री आपरेटर	1(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	रु 4000-100-6000	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय,	अनिवार्य i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा इसके समकक्ष ii. डाटा एन्ट्री कार्य में 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे से कम की गति न हो । टिप्पणी: डाटा एन्ट्री कार्य में 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की

IndiaCode

					अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का संघराज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	परीक्षा की जांच संगणक प्राधिकारी द्वारा ईडीपी परीक्षण (मशीनों) पर गति परीक्षा लेकर की जाएगी ।

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	स्थायी किए जाने के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) - सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य	लागू नहीं

कनिष्ठ लेखाकार (उच्च श्रेणी लिपिक) के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ लेखाकार (उच्च श्रेणी लिपिक)	5(2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	रु 4000-100-6000	चयन एवं वरिष्ठता	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति	**पदोन्नति** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के	1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष	लागू नहीं

IndiaCode

		द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित)	ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली है । **टिप्पणी :** जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा, आधी से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह गई हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों,	2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) - सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा) - सदस्य	

			सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी अथवा अन्य संगठनों के ऐसे अधिकारी : (i) जो कि मूल संवर्ग/विभाग में सादृश्य पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड में रु. 3050-4590 अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो; तथा (ख)जो निम्न अर्हताएं/अनुभव रखते हों: (i) रोकड़, लेखाओं और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) डाटा बेस प्रबन्ध प्रणाली जैसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सुविधा		

IndiaCode

		[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्गावेक्षय पद में प्रोबेशनयुक्त की अवधि (अल्पकालीन सेवा सहित) सहित प्रोबेशनयुक्त की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सेवाएं उपयुक्त देने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष किया जा सकता है । प्रोबेशनयुक्त द्वारा नियुक्ति के समय में अधिकतम आयुसीमा (अल्पकालीन सेवा सहित) आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।		

IndiaCode

अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
अवर श्रेणी लिपिक	12 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' मंत्रालयी	रु० 3050-75-3950-80-4590	चयन एवं वरिष्ठता	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा समतुल्य अर्हता 2. अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनिट की टंकण गति 3. कम्प्यूटर कार्यचालन में सुविधा

9	10	11	12	13	14
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)- सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

			शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हों और जिन्होंने समूह 'घ' पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । टिप्पणी : जब ऐसे कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक / पात्रता सेवा, आधी से अधिक अर्हक / पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न रह गई हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।	3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी – सदस्य 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य क्षेत्रीय समिति के लिए 1. क्षेत्रीय निदेशक -अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय समिति में अवर सचिव -सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन)/ सदस्य सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य	

स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
स्टाफ कार ड्राइवर	3 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी	रु० 3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य 1. मोटरकार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस 2. मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (वाहन में मामूली खराबी को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए) । 3. मोटरकार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय 1. मिडिल कक्षा पास 2. होमगार्ड/ सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा कर रखी हो ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)/ पुनर्नियुक्ति/ विलयन अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)/ विलयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समूह 'घ' के ऐसे	स्थायी किए जाने के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन)-अध्यक्ष	लागू नहीं

			नियमित कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो । भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाना हो और जो निर्धारित अपेक्षित अनुभव तथा शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति का लाभ दिया जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेवाओं से कार्यमुक्त किया जाना है : इसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर जारी रखा जा सकता है ।	2. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)- सदस्य 3. उपसचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य	

चपरासी/फराश के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
चपरासी/ फराश	18 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'घ' गैर-मंत्रालयी	रु 2500-55-2660-60-3200	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य कक्षा मिडिल पास वांछनीय किसी विख्यात संगठन में काम करने का अनुभव तथा फोटोकापियर / डुप्लीकेटिंग मशीनों आदि पर काम करने का ज्ञान

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायी किए जाने के लिए मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन)-अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना/प्रशासन)-सदस्य	लागू नहीं

IndiaCode

	3. उप सचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव सतर का एक अधिकारी-सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा) सदस्य **क्षेत्रीय समिति के लिए** 1. क्षेत्रीय निदेशक-अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय समिति में अवर सचिव-सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन)/सदस्य सचिव द्वारा नामित अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य	

IndiaCode

चौकीदार के पद के लिए भर्ती विनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
चौकीदार	8 (2003)* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह 'घ' गैर-मंत्रालयी	रु 2500-55-2660-60-3200	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और वह अन्तिम तारीख नहीं जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति और चम्बा जिले, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।	अनिवार्य कक्षा मिडिल पास वांछनीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस में 'बुनियादी' तथा 'पुनश्चर्या', पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायी किए जाने के लिए मुख्यालय के लिए 1. उपसचिव (प्रशासन)-अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना/प्रशासन)-सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाने वाला अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी-सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

					होगा)-सदस्य क्षेत्रीय समिति के लिए 1. क्षेत्रीय निदेशक-अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय समिति में अवर सचिव-सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन)/सदस्य सचिव द्वारा नामित अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी-सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य (जो अवर सचिव से कम स्तर का नहीं होगा)- सदस्य

एस. के. पैंथ, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/IV/131/2002/असा.]

IndiaCode

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th March, 2003

F. No. 9-12/2002/NCTE.— In exercise of the powers conferred under Section 10(1) & (2) read with Section 32(2) (c) of National Council for Teacher Education Act, 1993 and with the approval of the Central Government the NCTE hereby makes the following Regulations for regulating the method of recruitment to all the posts other than those of Chairperson, Vice-Chairperson and Member Secretary in National Council for Teacher Education:-

IndiaCode

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1.1 These Regulations may be called National Council for Teacher Education (Recruitment) Regulations, 2003.

1.2 They shall come into force on the date of their notification.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALES OF PAY

2.1 The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to this notification.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE-LIMIT AND OTHER QUALIFICATIONS etc.

3.1. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

3.2. The appointments to posts equivalent to Group 'A' posts in the Government of India shall be subject to prior approval of the Government of India

3.3. The age limit for direct recruitment is relaxable up to 35 years for NCTE employees.

3.4. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Chairperson, NCTE in case of candidates belonging to SC/ST, if at any stage of selection, the Chairperson, NCTE is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these categories possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

3.5. While considering appointments by contract, the requirement of requisite length of service in the scales prescribed in the column 12 of the Schedule shall not be applicable.

3.6. While filling up of posts on direct recruitment basis by inviting names from local employment exchange, such of the National Council for Teacher Education employees as fulfil the eligibility qualifications laid down in the recruitment rules shall also be given an opportunity for consideration.

IndiaCode

4. **DISQUALIFICATION**

4.1. No person who -

(a) has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the NCTE may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personnel Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. FUTURE MAINTENANCE OF THE SERVICE

5.1 All persons appointed on direct recruitment basis in accordance with any administrative instructions existing prior to notification of the Regulations shall continue in the substantive posts held by them.

5.2 All the appointments in the NCTE after the notification of these Regulations shall be made only in accordance with the provisions of these Regulations .

6. POWER TO RELAX

6.1. When the Council upon a recommendation made by the Chairperson to that effect, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of posts or persons.

7. SAVINGS

7.1. Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxations in age-limit and other concessions required to be provided by NCTE for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

8. INTERPRETATIONS

8.1 Any question relating to interpretation of these Regulations shall be decided by Chairperson, NCTE, New Delhi.

SCHEDULE

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY SECRETARY/REGIONAL DIRECTOR

Name of post	No. of posts	classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection – cum seniority or non - selection – post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension rules), 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Secretary/ Regional Director	7 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16,500* *These posts will be operated in the UGC scales applicable to Readers if they are occupied by incumbents who were in UGC scales prior to joining NCTE.	Not applicable	N.A.	N.A.	N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Composition of Departmental Promotion Committee	Circumstances in which UPSC is to be considered in making rectt.

IndiaCode

		be filled by various methods			
9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation(including short term contract).	Deputation (including short term contract) Officers under the Central / State Govts. / Universities / Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Govt., Autonomous or other organisations (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) With 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-15,2000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following qualifications / experience: i) Experience in educational administration in	N.A.	N.A.

Indiacode

			various Directorates of Education, SCERT, KVS, NVS or such school/educational systems etc.; and ii) Knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on-line electronic resources. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 4 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for		

India Code

			appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF UNDER SECRETARY /RESEARCH OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Under Secretary/ Research Officer	14 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200* *These posts will be operated in the UGC scales applicable to Lecturer if they are occupied by incumbents who were in UGC scales prior to joining NCTE.	Selection-cum seniority	N.A.	N.A.	N.A.

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	50% by promotion failing which by deputation (including short term contract) / and 50% by deputation/ contract	Promotion Section Officer/Programme Officer and Senior Personal Assistants in NCTE with 8 years of regular service in the grade. Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying	1. Chairperson-NCTE, Chairman 2. Vice-Chairperson, NCTE – Member 3. Member Secretary-Member 4. One Member from Ministry of HRD–Member. 5. One Expert to be nominated by Chairperson - Member 6. Member belonging to SC/ST to be nominated by Chairperson – Member	N.A.

			/ eligibility service. Deputation (including short term contract) Officers under the Central / State Govts. / Universities / Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Govt. Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre / department; or (iii) with 8 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of		

IndiaCode

			Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department and (b) Possessing the following qualifications / experience (i) Experience in educational administration in various Directorates of Education, SCERT, KVS, NVS or such school/educational systems etc.; and (ii) Knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on-line electronic resources. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including		

			short term contract) in another ex-c dre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending org nization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)		

Important

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SECTION OFFICER /PROGRAMME OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Section Officer/Programme Officer	12 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Ministerial	Rs. 6500-200-10,500	Selection cum seniority	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	(i) 50% by promotion failing which by deputation	(i) Promotion Assistants in NCTE with 6	1. Member Secretary – Chairman 2. Deputy Secretary(A)	N.A.

			(including short term contract) and (ii) 50% by limited departmental examination from Stenographers Grade 'C' and Technical Assistants.	years of regular service in the grade. Note : Where Juniors who have completed their being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. (ii) <u>Limited Departmental Examination</u> From amongst Assistants, Stenographers Grade 'C' and Technical Assistants with 5 years regular service in the grade in NCTE. (iii) <u>Deputation (including short term contract)</u>	– Member 3. One Expert to be nominated by the Member Secretary – Member Under Secretary (Estt./Admn.) – Member 5. Member belonging to SC/ST(Not below the rank of Under Secretary) to be nominated by the Member Secretary - Member	

			Officers under the Central / State Govts. / Universities / Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Govt. Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/Rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : i) Experience in educational administration in various Directorates of Education,		

India Code

	SCERT, KVS, NVS or such school educational systems etc.; and	
iii)	Knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on-line electronic resources.	
	(Period of deputation (including short term contract): including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term	

			contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)				

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR PERSONAL ASSISTANT

1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Personal Assistant	3 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group "B" Ministerial	Rs. 6500-200-10,500	Selection cum seniority	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
No	N.A.	By promotion failing which by deputation (including short term	Promotion Stenographers Grade C in the NCTE with 6 years of	1. Member Secretary-Chairman 2. Deputy Secretary	N.A.

IndiaCode

		contract).	regular service in the grade. Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. Deputation (including short term contract) Officers under the Central / State Govts. / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Govt. Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department;	(A) Member 3. One Representative of the Ministry of HRD – Member 4. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 5. Member belonging to SC/ST (not below the rank of Under Secretary) to be nominated by Member Secretary – Member

			or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/ Rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience (i) a speed of 120 words per minute in English / Hindi Stenography (ii) knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on-line electronic resources. (Period of deputation (including short term contract) including period of		

IndiaCode

			deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the leading organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ACCOUNTS OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Accounts Officer	1 (2003) * subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non-Ministerial	Rs. 7450-225-11,500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation(including short term contract)	By deputation(including short term contract)	N.A.	N.A.

			Officers under the Central / State Govts. / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Govt. Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs 5500-9000 or equivalent in the parent cadre / department, and (b) Possessing the following qualifications / experience : A in the SAS or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Deptts. of the Central Govt.; OR		

indiacode

		Successful completion of training in the Cash & Accounts work in the ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts & Budget work. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

892 GI/03—10

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF COMPUTER PROGRAMMER-CUM-PLANNING & MONITORING OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Computer Programmer-cum-Planning & Monitoring Officer	1 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10,500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation (including short term contract) / promotion	Deputation (including short term contract) Officers under the Central / State Govts:/	N.A.	N.A.

IndiaCode

			Bodies / Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000/ Rs.5000-8000/- or equivalent in the parent cadre/department; and : (b) Possessing the following qualifications / experience : (i) BCA or equivalent certification of DOEACC. (ii) Three years experience of software development for data-base management, Web		

			designing and system management of local area network. (The departmental Technical Assistant possessing the qualifications prescribed above will also be considered and in case s/he is selected, the post of CPPMO shall be deemed to be filled on promotion.) (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)		

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LIBRARIAN-CUM-DOCUMENTATION AND PRODUCTION OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Librarian-cum-Documentation and Production Officer	1 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non ministerial	Rs. 6500-200-10,500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation (including short term contract)	By Deputation (including short term contract)	N.A.	N.A.

IndiaCode

			Officers under the Central / State Govts. / Universities / Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Govt., Autonomous or other Organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 3/6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000/5000-8000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : <u>Essential</u> (i) At least a second class Master's Degree from a recognised university		

IndiaCode

			(ii) A degree in Library Science from a recognised university. (iii) 5 years experience as Librarian / Asstt. Librarian / Documentation Asst. in a reputed Library. (iv) Knowledge of use of information and communication technology such as handling of Library Software fordata base management system and use of off-line and on-line electronic resources. (v) Experience in use of digital resources such as CD-ROM/Internet etc. <u>Desirable</u> Knowledge of modern and sophisticated methods of documentation. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short	

India Code

			term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)		

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS OFFICER

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Accounts Officer	5 (2003) * subject to variation dependent on workload.	Group B Non ministerial	Rs. 5500-175-9000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By deputation(including short term contract)	By deputation(including short term contract) Officers under the Central / State Govts. / Public Sector	N.A.	N.A.

			Undertakings / Statutory. Semi Govt., Autonomous or other Organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 3/10 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000/4000-6000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : (i) three years experience of cash, account and budget work; and (ii) facility in use of information and communication technologies . such as handling of data		

IndiaCode

			base management system. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)		

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant	8 (2003) * subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection – cum – Seniority	N.A.	Between 20 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland,	Essential A degree from a recognised university or equivalent Desirable 1. Two years experience in general administration / establishment / stores / accounts in Central / State Govt., autonomous or other organizations .

IndiaCode

						Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	2. Facility in Computer applications

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
No	2 years for Direct Recruits	25% by promotion failing which by deputation (including short term contract) / and 75% by direct recruitment	Promotion UDCs in NCTE having eight years regular service in the grade.	1. Member Secretary-Chairman 2. Deputy Secretary (A) – Member 3. Under Secretary (Admn./Estt.) –	N.A.

			Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. <u>Deputation (including short term contract)</u> Officers under the Central / State Govt. / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Govt., Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or	Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) to be nominated by the Member Secretary – Member	

			(ii) with 8 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 and having 3 years experience in general administration / establishment / stores / accounts or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing three years experience in general admn. / estt./ stores/ accounts. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be		

India Code

			extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

IndiaCode

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT

1	2	3	4	5	6	7	8
Technical Assistant	1 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non Ministerial	Rs. 5000-150-8000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A/	N.A.	Deputation (including short term contract) /promotion	Deputation (including short term contract) / promotion Officers under the Central/State Governments /Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government, Autonomous or other organisations (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 8 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.4000-6000 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : Essential (i) BCA or equivalent Certification of DOEACC (ii) Three years experience	N.A.	N.A.

IndiaCode

			of hardware and skill of minor repairs of computer system. (The departmental Data Entry Operator possessing the qualifications prescribed above will also be considered and in case he is selected, the post of Technical Assistant shall be deemed to be filled on promotion.) (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)		

892 GI/03—12

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE 'C'

1	2	3	4	5	6	7	8
Stenographer Grade 'C'	12 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection – cum – Seniority	N.A.	Between 18 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura,	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A speed of 100 wpm in English / Hindi Shorthand. 3. Skill of Data Entry and Word Processing in computer {Preference will be given to person with knowledge of both English and Hindi Stenography)

IndiaCode

						Sikkim, Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
No	2 years for Direct Recruits	50% by promotion failing which by deputation (including short term contract) and 50% by direct recruitment.	Promotion Stenographers Grade 'D' in NCTE with 8 years regular service in the grade and having a speed of 100 wpm in English / Hindi Stenography.	1. Member Secretary-Chairman 2. Deputy Secretary (A) – Member 3. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 4. Member belonging to	N.A.

			Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. <u>Deputation (including short term contract)</u> Stenographers in the Central/State Govt./ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government, Autonomous or other organisations (i) holding analogous	SC/ST (not below the rank of US) – Member	

			posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 8 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.4000-6000 or equivalent in the parent cadre / department and having a speed of 100 WPM in English/Hindi stenography. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending		

India.org

			organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF STENOGRAPHER GRADE 'D'

1	2	3	4	5	6	7	8
Stenographer Grade 'D'	6 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 4000-100-6000	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University 2. A speed of 80 wpm in English / Hindi Shorthand. 3. Skill of data entry and word processing in Computer. {Preference will be given to persons with knowledge of both English and Hindi Stenography)

IndiaCode

						Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By direct recruitment	N.A.	<u>For Confirmation</u> <u>For Headquarters</br></u> 1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 3. One Officer to be nominated by DS (A) – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member	N.A.
				<u>For Regional Committee</u> 1. Regional Director – Chairman	

IndiaCode

				2. Under Secretary in Regional Committee – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) / MS – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US)- Member	

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATOR

1	2	3	4	5	6	7	8
Date Entry Operator	1 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non Ministerial	Rs. 4000-100-6000	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh	Essential (i) 12th standard pass or equivalent from a recognised Board / University (ii) Should possess a speed of not less than 8000 key depression per hour for Date Entry Work. Note : The speed of 8000 key depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP

IndiaCode

						Division of S ate of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba dis ricts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	Machines(s) by the competent authority.

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	Direct recruitment	N.A.	<u>For Confirmation</u> 1. Deputy Secre ary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 3. One Officer of the level of Under Secretary to be nominated by DS(A)	NA

IndiaCode

				– Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member	

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTANT (UDC)

IndiaCode

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Accountant (UDC)	5 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Selection cum seniority	No	N.A.	N.A.

9	10	11	12	13	14
N.A.	N.A.	By promotion failing which by deputation (including short term contract)	Promotion Lower Division Clerks in the NCTE with eight years regular service in the grade.	1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) –	N.A.

			Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service. <u>Deputation (including short term contract)</u> Officers of the Central / State Govt./Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings, Statutory, Semi-Government or other organisations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department;	Member 3. One Officer of the level of US to be nominated by DS(A) – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member	

			or (ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent in the parent cadre / department; and (b) Possessing the following qualifications / experience : (i) three years experience of cash, accounts and budget work; and (ii) facility in use of information and communication technologies such as handling of data base management system. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment		

			in the same or some other organization / Department of Central / State Govt. shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LOWER DIVISION CLERK

1	2	3	4	5	6	7	8
Lower Division Clerk	12 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection-cum-Seniority	No	Between 18 to 27 years Note : The crucial date for deter ining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not	Essential 1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi.

						the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	3. Facility in computer operations.

9	10	11	12	13	14
Age : No Edn. Qualification : Yes	2 years for direct recruits	75% by direct recruitment and 25% by promotion	Promotion Group 'D' employees in NCTE with 5 years regular service in Group 'D' posts and having the educational and other qualification	For Hq. 1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member	N.A.

			prescribed for direct recruits. Note : Where Juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying / eligibility service by more than half the qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying / eligibility service.	3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) <u>For Regional Committee</u> 1. Regional Director – Chairman 2. Under Secretary in Regional Committee – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) / MS – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US)- Member	

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DRIVER

1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car Driver	3 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of	Essential 1. Possession of a valid driving license for motor cars. 2. Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles). 3. Experience of driving a motor car for at least 3 years. Desirable 1. Middle School Standard Pass 2. 3 years service as

IndiaCode

						State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	Home Guard / Civil Volunteers

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	Deputation (including short term contract) / Reemployment / absorption failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract)/ Absorption From amongst regular Group 'D' employees in NCTE who possess valid driving license for motor cars. For Ex-Servicemen Deputation/ Reemployment	For Confirmation 1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member	N.A.

IndiaCode

			The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces : thereafter they may be continued on reemployment.		

India.gov

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PEON/FARASH

1	2	3	4	5	6	7	8
Peon/ Farash	18 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'D' Non Ministerial	Rs. 2500-55-2660-60-3200	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim,	Essential Middle School Standard Pass Desirable Experience of working in a reputed organisation and knowledge of operating photocopies / duplicating machines etc.

IndiaCode

						Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By Direct recruitment.	N.A.	For Confirmation For Hq. 1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS(A)	N.A.

				– Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) -- Member For Regional Committee 1. Regional Director – Chairman 2. Under Secretary in Regional Committee – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS(A)/ MS – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) -- Member	

IndiaCode

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF CHOWKIDAR

1	2	3	4	5	6	7	8
Chowkidar	8 (2003)* subject to variation dependent on workload.	Group 'D' Non Ministerial	Rs. 2500-55-2660-60-3200	N.A.	N.A.	Between 18 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim,	Essential Middle School Standard Pass Desirable Training in 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence.

IndiaCode

						Ladhakh Division of State of Jammu and Kashmir. Lahul and Spiti and Chamba districts of Himachal Pradesh, Anadaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	

IndiaCode

9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By Direct recruitment.	N.A.	For Confirmation For Hq. 1. Deputy Secretary (A) – Chairman 2. Under Secretary (Admn./Estt.) – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) – Member	N.A.

				4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US) – Member <u>For Regional Committee</u> 1. Regional Director – Chairman 2. Under Secretary in Regional Committee – Member 3. One Officer of the rank of US to be nominated by DS (A) / MS – Member 4. Member belonging to SC/ST (not below the rank of US)- Member	

S.K. RAY, Member-Secy.
[ADVT III/IV/131/2002/Exty.]

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.